संख्या–3970 / 9–आ–3–2002–55 विविध / 2002

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष

समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक–02 नवम्बर, 2002

विषय : प्राधिकरण द्वारा परिक्षेत्रीय विकास योजना ''जोनल उेवलपमेन्ट प्लान'' तैयार किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह बात आयी है कि विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा सम्बंधित नगरों की महायोजना तैयार किये जाने के पश्चात उक्त क्षेत्र की परिक्षेत्रीय विकास योजना (जोनल डेवलपमेंट प्लान) तैयार किये जाने में रुचि नहीं ली जा रही है। यह स्थिति उचित नहीं है। आप अवगत हैं कि ''उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973'' की धारा–9 (1) में यह प्राविधान है कि ''प्राधिकरण महायोजना तैयार करने के साथ–साथ या तत्पश्चात यथाशक्य उन परिक्षेत्रों से जिनमें विकास क्षेत्र विभाजित किया जा सकता है प्रत्येक परिक्षेत्र के लिए एक परिक्षेत्रिय विकास योजना तैयार करने के लिए अग्रसर होगा। स्पष्ट है कि सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा उक्त अधिनियम में दी गयी व्यवस्थानुसार जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने का उत्तरदायित्व है जिसका अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने से नियोजन से सम्बंधित अनेक समस्यायें उत्पन्न हो सकती है।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–9 में दी गयी व्यवस्थानुसार महायोजना तैयार करने के साथ–साथ परिक्षेत्रीय विकास योजनायें (जोनल डेवलपमेन्ट प्लान) भी तैयार कराने का कष्ट करें और यह भी सुनिश्चित करें कि महायोजना में प्रदर्शित विभिन्न परिक्षेत्र की प्राथमिकता निश्चित करते हुए 'परिक्षेत्रीय योजना' तैयार की जाये।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या :– 3970(1)/9–आ–3–2002–55विविध/2002तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त/अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

संजीव कुमार

विशेष सचिव।